उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 44/1/84/सी-3/38 भोपाल, दिनांक 25/30 अगस्त, 1986

प्रति,

आयुक्त,
महाविद्यालयीन शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

विषय:- अशासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य महाविद्यालय, रायगढ़, जिला-रायगढ़ को शासनाधीन किया जाना ।

::::

अशासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, जिला-रायगढ़ को जिसे नियमित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है, इस संस्था की उत्तम व्यवस्था हेतु एवं जनहित में 1 अक्टूबर, 1986 से निम्नलिखित शर्तों पर शासनाधीन किया जाता है :-

(क) शासनाधीन होने के दिनांक से इस महाविद्यालय का नाम "शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, जिला-रायगढ़ होगा।

(ख) शासनाधीन करने की प्रक्रिया एवं उसके बाद की समस्त कार्यवाई पर संलग्न अनुबन्ध (परिशिष्ट-1) की शर्तें लागू होंगी जो शासनाधीन किये जा रहे महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को इस आदेश के जारी होने के तुरन्त बाद तथा 1 अक्टूबर, 1986 के पूर्व निष्पादित करना होगा।

(ग) इस आदेश के दिनांक तक की असेट्स एवं लायबिलटीज को "फ्रीज" कर दिया माना जावेगा। इस महाविद्यालय से सम्बन्धित असेट्स एवं चल-अचल सम्पत्ति और धनराशि उसकी प्रबन्ध समिति से राज्य शासन को बिना शर्त अन्तरित हो जावेगी और शासन इस आदेश के दिनांक से पहले कि किसी प्रकार की लायबिलटीज स्वीकार नहीं करेगा ?

(घ) शासनाधीन होने के पश्चात इस महाविद्यालय में केवल ऐसे शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को कार्य करने दिया जावेगा जो कि अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत हैं तथा जिनकी नियुक्ति विधिवत् रूप से चयन के पश्चात् इन पदों पर की गई हो। जो शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी अनुदान प्राप्त पदों

-2-

513

पर कार्यरत नहीं है अथवा जो शिक्षक अथवा कर्मचारी अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत तो हैं किन्तु उनकी नियुक्ति विधिवत् चयन के द्वारा नहीं हुई है अथवा जो शिक्षक अथवा कर्मचारी तदर्थ रूप से या अंशकालीन रूप से भरती किए गए हैं उनकी सेवाएँ महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को महाविद्यालय के शासनाधीन के पूर्व समाप्त करनी होंगी तथा इस प्रकार से सेवाएँ समाप्त करने के बाद उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के दायित्व के लिए शासन जिम्मेदार नहीं होगा।

§घ§ शासन को पूरा अधिकार एवं विवेक होगा कि इस महाविद्यालय के ऐसे स्टॉफ को जो, शासनाधीन के बाद भी महाविद्यालय में कार्यरत रहने दिया जाता है, शासकीय सेवा में संविलियन करें या न करें या अन्य किसी व्यवस्था में उनसे काम लें। शासन के अन्य आदेश होने तक ऐसा स्टॉफ तदर्थ रूप से अब तक की शर्ते स्थितियों और इस आदेश की कंडिका-5 में दर्शायी वेतन व्यवस्था पर काम करता रहेगा, परन्तु उन्हें शासकीय नियमानुसार दण्डित करने तथा सेवा निवृत्त करने का अधिकार शासन को होगा। ऐसे स्टॉफ के शासकीय सेवा में संविलियन की कार्रवाई उच्च शिक्षा-विभाग द्वारा नियमानुसार की जावेगी।

§ङ§ शासन इस आदेश के एक वर्ष पूर्व तक की गई ऐसी नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों जिन्हें शासनाधीन के बाद भी बने रहने दिया जाता है, की जाँच इस आशय से विशेष रूप से कर सकेगा कि वे महाविद्यालय शासनाधीन होने की प्रत्याशा में दुर्भावनावश तो नहीं की गई थी तथा ऐसा पाया जाने पर ऐसे नियुक्ति/पदोन्नति आदेश किसी भी समय निरस्त कर सकेगा तथा इस सम्बन्ध में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। शासन के इस प्रकार के निर्णय से यदि कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसे महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को, जितने दुर्भावनावश नियुक्ति की है। वहन करना होगा। एवं

§च§ इस आदेश के जारी होने के बाद तथा अनुबन्ध निष्पादित होने के पूर्व महाविद्यालय में शासनाधीन के पश्चात् कार्यरत सभी अध्यापकों एवं कर्मचारियों को इस आशय का §अण्डर टेकिंग§ देना होगा कि उन्हें इस आदेश में, तथा संलग्न अनुबन्ध में दर्शाई गई उनसे सम्बन्धित सभी शर्ते मान्य हैं। इस प्रकार का "अण्डर टेकिंग" नहीं प्राप्त होने पर सम्बन्धित अध्यापक अथवा कर्मचारी

की सेवाएँ शासनाधीन करने से पूर्व महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा समाप्त कर दी जावें। इस प्रकार सेवा समाप्त करने में यदि कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उस महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को वहन करना होगा। 512

2. इस महाविद्यालय में नीचे लिखे अस्थाई शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों के शासनाधीन किये जाने की तिथि से 28 फरवरी, 1987 तक निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0 1.	पदनाम 2	वेतनमान 3	पदों की संख्या 4
1.	प्राचार्य	रु0 1200-50-1300-60-1900	1
2.	प्राध्यापक वाणिज्य	रु0 - - - - ,, - - - -	1
3.	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य	रु0 700-40-1100-50-1300-अ0रो0-50-1600	5
4.	सहायक प्राध्यापक अर्थ शास्त्र	रु0 - - - - ,, - - - -	2
5.	सहायक प्राध्यापक हिन्दी	रु0 - - - - ,, - - - -	3
6.	सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र	रु0 - - - - ,, - - - -	2
7.	सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र	रु0 - - - - ,, - - - -	2
8.	सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी	रु0 - - - - ,, - - - -	1
9.	ग्रन्थपाल	रु0 700-40-1100	1
10.	क्रीड़ा अधिकारी	रु0 550-900	1
11.	मुख्य लिपिक/लेखापाल	रु0 680-15-800-20-900-25-1000-30-1060	1
12.	निम्न श्रेणी लिपिक	रु0 515-10-575-15-800	3
13.	बुक लिफ्टर	रु0 380-05-425-10-495	3
14.	भृत्य	रु0 - - - - ,, - - - -	4
15.	फर्राश	रु0 - - - - ,, - - - -	2
16.	चौकीदार	रु0 - - - - ,, - - - -	1

3. उपरोक्त दर्शाये पदों का व्यय "अनुदान संख्या-44-277-शिक्षा-80-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-गा-सरकारी महाविद्यालय-4-और सरकारी महाविद्यालय का लिया जाना आयोजना" मद में विकलनीय होगा।

-4-

जिला रायगढ़ को शासनाधीन लेने के फलस्वरूप इस अशासकीय महाविद्यालय में कार्यरत नीचे लिखे शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को उनके सामने दर्शाए गए पदों पर तदर्थ रूप से अस्थायी तौर पर आगामी आदेशों तक मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन-शाखा) में शासनाधीन के दिनाँक से नियुक्त कर शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य-एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, जिला रायगढ़ में उसी दिनाँक से पदस्थ किया जाता है :- 511

क्र0 1	नाम 2	पदनाम 3
1.	श्री बी0 आर0 राठी	प्राचार्य
2.	रिक्त पद	प्राध्यापक वाणिज्य
3.	श्री आई0 पी0 गुप्ता	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
4.	श्री जे0 एन0 केशरवानी	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
5.	श्री के0 के0 तिवारी	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
6.	श्री आर0 पी0 अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
7.	श्री एन0 एस0 खनूजा	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
8.	श्री डी0 एन0 वर्मा	सहायक प्राध्यापक अर्थ शास्त्र
9.	श्री बी0 एस0 परमार	सहायक प्राध्यापक अर्थ शास्त्र
10.	श्री एम0 एस0 परमार	सहायक प्राध्यापक हिन्दी
11.	श्री आई0 एस0 पान्डे	सहायक प्राध्यापक हिन्दी
12.	श्री बी0 आर0 पटेल	सहायक प्राध्यापक हिन्दी
13.	श्री बी0 एल0 कश्यप	सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र
14.	कु0 सी0 बी0 वर्मा	सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र
15.	श्री डी0 आर0 पटेल	सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
16.	श्री के0 के0 मिश्रा	सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
17.	श्री पी0 एस0 सैटर	सहायक प्राध्यापक अँग्रेजी
18.	श्री पी0 आर0 सिरोले	ग्रन्थपाल
19.	श्री आर0 एल0 अग्रवाल	क्रीड़ा अधिकारी
20.	श्री व्ही0 के0 सोनी	मुख्य लिपिक/लेखापाल
21.	श्री एन0 के0 जैन	निम्न श्रेणी लिपिक
22.	श्री सुन्दरलाल पटैल	निम्न श्रेणी लिपिक
23.	श्री एन0 के0 मिश्रा	बुक लिफटर
24.	श्री कृष्णदास वैष्णव	बुक लिफटर
25.	श्री के0 सी0 देवांगन	बुक लिफटर
26.	श्री अभयराम	भृत्य
27.	श्री परमानंद साव	भृत्य
28.	श्री अमृतदास	भृत्य
29.	श्री के0 डी0 वैरागी	भृत्य
30.	श्री सुग्रीव सिदार	फर्राश
31.	श्री प्रेम सिंह	फर्राश
32.	श्री शौकीलाल	चौकीदार

उक्त सभी शिक्षक एवं कर्मचारी जो वेतन व शासनाधीन के दिनांक को प्राप्त कर रहे थे वही वेतन प्रतिमाह अन्य आदेश होने तक तदर्थ रूप से प्राप्त करते रहेंगे तथा वेतन के अनुपात में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता भी प्राप्त करते रहेंगे। 510

6. अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, बिलासपुर सम्भाग को यह भी आदेशित किया जाता है कि :-

(क) महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति से इस महाविद्यालय की चल-अचल सम्पत्ति सहित शासन के अधिकार में शासनाधीन के दिनांक से लेलें। यह भी सुनिश्चित करें कि इस आदेश के दिनांक से प्रबन्ध समिति सम्पत्ति को "फ्रीज" की स्थिति में बनाये रखे।

(ख) शासनाधीन के दिनांक के पूर्व सभी सम्पत्ति की सूची ब्यौरा तैयार कर लें तथा सुनिश्चित कर लें कि शासनाधीन महाविद्यालय से प्राप्त सभी अचल सम्पत्ति भार मुक्त (Un-Encumbered) है, इसी प्रकार सभी चल सम्पत्ति का सत्यापन उनके द्वारा सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों से कर लिया जाये।

(ग) इस आदेश की कंडिका चार के द्वारा जिन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को तदर्थ रूप से अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक नियुक्ति दी जा रही है। उनके सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लें कि वे अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत् हैं तथा उनकी नियुक्ति विधिवत् रूप से चयन के पश्चात् इन पदों पर की गई। जो शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत् नहीं हैं या जो अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत् तो हैं, किन्तु उनकी नियुक्ति विधिवत् चयन के द्वारा नहीं हुई है अथवा जो शिक्षक अथवा कर्मचारी तदर्थ रूप से या अंशकालीन रूप से भर्ती किये गये हैं उनकी सेवाएँ शासनाधीन के दिनांक से पूर्व समाप्त करने के लिए प्रबन्ध समिति से कहें।

(घ) तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों को शासनाधीन के दिनांक से कार्य न करने दें।

(ड.) संलग्न परिशिष्ट में दिये गये अनुबन्ध पत्र अनुसार अनुबन्ध सम्बन्धित प्रबन्ध-समिति से निष्पादित कराकर भेजें। शासन की ओर से जिलाध्यक्ष के हस्ताक्षर करायें। यह अनुबन्ध स्टैम्प ड्यूटी से मुक्त रहेगा।

(च) अनुबन्ध के साथ शासन को प्रतिवेदन भी भेजें जिसमें शासनाधीन सम्बन्धी सभी बातों का विस्तृत उल्लेख होगा।

7. इस आदेश की कण्डिका 1 में दर्शाई शर्तें प्रबन्ध समिति को मान्य न होने पर या निर्धारित तरीके से पूरी न करने पर यह आदेश स्वयंमेव 1 अक्टूबर, 1986 को निष्प्रभावित हो जावेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1627/एस.आर. 747/IV/ब्री-3 दिनांक 30.8.86 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(डॉ. एस. सी० पाठक)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ 44/1/84/सी-3/38 भोपाल, दिनांक 25/30 अगस्त, 1986

509

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर',
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग',
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, भोपाल',
4. आयुक्त, बिलासपुर सम्भाग, बिलासपुर',
5. कलेक्टर, रायगढ़। वे कृपया महाविद्यालय को शासनाधीन लिए जाने के कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें तथा इस आदेश के दिनांक से तथा संलग्न अनुबन्ध निष्पादित होने तक वह यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय की चल-अचल सम्पत्ति पर अनाधिकृत उपयोग न हो और न ही उसका अनाधिकृत रूप से हस्तान्तरण किया जाये। वे शासन की ओर से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर भी करें।
6. सभी अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय, भोपाल',
7. अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, बिलासपुर सम्भाग, बिलासपुर',
8. सचिव, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल',
9. पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें, भोपाल',
10. कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, मध्यप्रदेश',
11. प्राचार्य, शासकीय पालूराम धनानिया, वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, जिला रायगढ़, मध्यप्रदेश',
12. अध्यक्ष/सचिव, शासी निकाय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, जिला रायगढ़, मध्यप्रदेश',
13. सभी सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी शासकीय पालूराम धनानिया-वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, जिला रायगढ़, मध्यप्रदेश',
14. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर',
15. लेखाधिकारी/योजनाधिकारी/छात्रवृत्ति अधिकारी महाविद्यालयीन शिक्षा-संचालनालय, भोपाल',
16. उच्च शिक्षा विभाग की शाखा-1 एवं 2',
17. निज सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी/उच्च शिक्षा मंत्रीजी',

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

§ डॉ. पू० एस० पाठक §
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स्वस्म:8986